पत्रांक– वि॰ प्रा॰ (IV) यो॰–32/2020–

बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं0 हक), बिहार
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

/पटना, दिनांक–

विषय :– **विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन स्थापित एवं संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, भोजपुर, शिवहर, खगड़िया एवं बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर में आवश्यक मशीनें एवं उपस्कर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु अतिरिक्त कुल राशि रू० 10,51,50,000.00 (दस करोड़ इक्यावन लाख पचास हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में संबंधित संस्थानों को राशि विमुक्त करने के संबंध में।**

आदेश :– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन स्थापित एवं संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, भोजपुर, शिवहर, खगड़िया एवं बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर द्वारा उपलब्ध कराये गए अधियाचना के आधार पर दिनांक–03.12.2024 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में उक्त संस्थानों में आवश्यक मशीनें एवं उपस्कर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु अतिरिक्त कुल राशि रू० 10,51,50,000.00 (दस करोड़ इक्यावन लाख पचास हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष–2024–25 में संबंधित संस्थानों को राशि विमुक्त करने की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की है–

(राशि रूपये में)

क्र० सं०	संस्थानो के नाम	स्वीकृत/विमुक्त राशि (52 02– मशीन एवं उपस्कर–अन्य)
1	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, आरा (भोजपुर)	4,44,00,000.00
2	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, शिवहर	2,47,50,000.00
3	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, खगड़िया	3,50,00,000.00
4	बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर	10,00,000.00
	कुल योग :–	**10,51,50,000.00**

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2024–25 में मांग संख्या–43 के अन्तर्गत राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष –4202– शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02– तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष –105– इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, उपशीर्ष –0106– अभियंत्रण महाविद्यालय (निश्चय) के अधीन **52 02–मशीनें एवं उपस्कर–अन्य** विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका **विपत्र कोड–43–4202021050106** है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित संस्थान के प्राचार्य होंगे।

4. इस राशि की निकासी संबंधित जिला समाहरणालय कोषागार से की जायेगी।

5. उक्त राशि से सामग्रियों का क्रय GEM Portal से किया जाएगा। GEM Portal पर सामग्रियों की अनुपलब्धता की स्थिति में बिहार वित्त (संशोधन) नियम 2005 के आलोक में सामग्रियों की खरीदारी की जाएगी।

6. उक्त स्वीकृत राशि से नियमानुसार क्रय किये जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता के लिए संस्थान के प्राचार्य सीधे जिम्मेवार होगें तथा क्रय की गई मशीनें, उपकरण एवं उपस्करों की सूची सहित उसके अधिष्ठापन संबंधी प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। किसी भी परिस्थिति में आवश्यकता से अधिक सामग्री की खरीदारी नहीं की जायेगी।

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888/वि० दिनांक–03.12.2024 में अंकित प्रावधानानुसार सक्षम प्राधिकार की अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है तथा आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति इस संचिका के पृ०–252/टि० पर प्राप्त है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 वि० (2), दिनांक–05.10.2007 अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(अहमद महमुद)

अपर सचिव

ज्ञापांक – वि॰ प्रा॰(IV) यो॰–32/2020– **/पटना, दिनांक–**

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

अपर सचिव

ज्ञापांक – वि॰ प्रा॰(IV) यो॰–32/2020– **/पटना, दिनांक–**

प्रतिलिपि – सभी संबंधित जिला समाहरणालय कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

अपर सचिव

ज्ञापांक – वि॰ प्रा॰(IV) यो॰–32/2020– 181 **/पटना, दिनांक–** 13/1/25

प्रतिलिपि – प्राचार्य, सभी संबंधित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/1/25

अपर सचिव